

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका संख्या - 03/भू0अ0नि0 (3) विशेष सर्वेक्षण नियोजन (विज्ञापन) - 33/2022 2581  
प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 20/9/2022

विषय :- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत मानदेय आधारित संविदा पद के रिक्त पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत मानदेय आधारित संविदा पद के रिक्त पद पर नियोजन हेतु सॉफ्ट/हार्ड कॉपी पत्र के साथ संलग्न की जा रही है :-

| क्र0सं0 | मानदेय आधारित संविदा पदनाम | विज्ञापन संख्या | कुल रिक्ति की संख्या |
|---------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 1       | विशेष सर्वेक्षण लिपिक      | 04/2022         | 226 (दो सौ छब्बीस)   |

अतः अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन संख्या- 04/2022 को बिहार के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी के सभी संस्करणों में प्रकाशित कराते हुए अपने विभागीय वेबसाईट पर भी प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- सूचना की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)  
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

**प्रेस विज्ञप्ति**

विज्ञापन संख्या-04/2022

**विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पदों पर मानदेय आधारित संविदा  
के आधार पर नियोजन**

बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली-2019 – अधिसूचना संख्या-72 (3) दिनांक 27.02.2019, समय-समय पर यथा संशोधित, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक-18.07.2007 तथा संकल्प संख्या-12534 दिनांक 17.09.2018 में निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के अन्तर्गत विशेष सर्वेक्षण लिपिक के नवसृजित संविदा पदों के विरुद्ध विशेष सर्वेक्षण लिपिक का संविदा के आधार पर नियोजन हेतु जैसे सुयोग्य उम्मीदवार, जो भारत के नागरिक है, से विहित प्रपत्र में Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है। उक्त आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट [www.lrc.bih.nic.in](http://www.lrc.bih.nic.in) पर Login किया जा सकता है।

**2. (क) विशेष सर्वेक्षण लिपिक कुल पद :- 226 (दो सौ छब्बीस)**

| आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ |                  |                    |             |                      |           |                          |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------|--------------------------|
| अनुसूचित जाति            | अनुसूचित जन जाति | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़े वर्ग की महिला | अनारक्षित | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| 30                       | 01               | 39                 | 22          | 06                   | 105       | 23                       |

\* रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2342 दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण एवं परिपत्र संख्या-2526 दिनांक-18.02.2016 के आलोक में बिहार राज्य के जैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 2% क्षैतिज आरक्षण तथा सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या-13062 दिनांक 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को 4% क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

**3. आरक्षण :-** राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।

**4. मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता :-**

| क्र० सं० | पदनाम                 | न्यूनतम योग्यता एवं अहर्ता | मानदेय  | अभ्युक्ति |
|----------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------|
| 1        | विशेष सर्वेक्षण लिपिक | स्नातक                     | 25000/- | -         |

**5. उम्र सीमा :-**

- (i) न्यूनतम आयु – दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम उम्र 21 (एक्कीस) वर्ष।
- (ii) अधिकतम आयु – अनारक्षित (पुरुष) – 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)-40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष।



6. **नियोजन अवधि :-** मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि, नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकेगा।
7. विज्ञापन में वर्णित रिक्ति का 3 (तीन) गुणा की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को कॉउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। रिक्ति पद पर चयन के पश्चात् शेष कॉउंसलिंग की सूची को प्रतीक्षा सूची के रूप में मान्य किया जाएगा। चयनित कर्मियों का पैनल प्रतीक्षा सूची के रूप में 31.03.2024 तक प्रभावी रहेगा। आवश्यकता के आधार पर प्रतीक्षा सूची के पैनल से उक्त अवधि में नियोजन किया जा सकेगा।
8. **चयन प्रक्रिया :-** मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक, इंटर के लिए अधिकतम 15 अंक, स्नातक के लिए अधिकतम 70 अंक एवं स्नातकोत्तर के लिए अधिकतम 05 अंक का वेटेज के आधार पर मेधासूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है:- यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80 प्रतिशत, इंटर में 70 प्रतिशत, स्नातक में 60 प्रतिशत एवं स्नातकोत्तर में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में मैट्रिक में वेटेज ( $80 \times 10 / 100 = 8$  अंक), इंटर में वेटेज ( $70 \times 15 / 100 = 10.5$  अंक), स्नातक में वेटेज ( $60 \times 70 / 100 = 42$  अंक), एवं में स्नातकोत्तर में वेटेज ( $50 \times 05 / 100 = 2.5$  अंक) देय होगा, इस प्रकार मेधा सूची के निर्माण में उसे कुल वेटेज- ( $8+10.5+42+2.5$ ) अर्थात् 63 अंक का दिया जायेगा।
9. Online आवेदन दिनांक-27.09.2022 से 21.10.2022 के अपराहन 11:59 बजे तक स्वीकार होंगे। Online आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाईनल प्रिंट निकालकर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार हेतु आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे।
10. विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार निदेशालय के अधीन है। निदेशालय विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है।
11. विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट [www.lrc.bih.nic.in](http://www.lrc.bih.nic.in) पर देखी जा सकती है।
12. [www.lrc.bih.nic.in](http://www.lrc.bih.nic.in) पर Login करने के बाद नियोजन से संबंधित Link प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अभ्यर्थी के मोबाईल एवं ई-मेल पर आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। उक्त आई.डी. एवं पासवर्ड के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा Personal Details, Educational Details, Photo & Signature एवं Document upload की कार्रवाई की जा सकेगी। Online आवेदन पत्र के Submit करने के पहले अभ्यर्थी आश्वस्त हो लेंगे कि उनके द्वारा सभी अपेक्षित सूचनाओं को दर्ज कर दिया गया है। एकबार Application Form Final Submit करने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में Application Form में सुधार/Edit का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन ही मान्य होगा। कॉउंसलिंग की अवधि में आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी तथ्य मान्य नहीं होगा न ही तथ्यों में संशोधन के किसी दावे पर विचार किया जाएगा और न ही आवेदन के साथ समर्पित दस्तावेजों के इतर कोई दस्तावेज मान्य होगा।

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण